इसे वेबसाइट **www.govtpress.mp.gov.in**
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 9] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 27 फरवरी 2026—फाल्गुन 8, शक 1947

भाग ४

विषय—सूची

(क)	(1) मध्यप्रदेश विधेयक,	(2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन	(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक.
(ख)	(1) अध्यादेश	(2) मध्यप्रदेश अधिनियम,	(3) संसद् के अधिनियम.
(ग)	(1) प्रारूप नियम,	(2) अन्तिम नियम.	

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)
अंतिम नियम

श्रम विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, भोपाल

भोपाल, दिनांक 18 फरवरी 2026

अधिसूचना क्रमांक/भ.स.क.म.म-2026, 827411.– भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 22 की उपधारा (1) की कंडिका (एच) सहपठित मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) नियम, 2002 के नियम 277, 279, 280 के अधीन प्रदत्त शक्तियों एवं प्रावधानों के अंतर्गत मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार मंडल द्वारा मध्यप्रदेश शासन के अनुमोदन के पश्चात 'निर्माण श्रमिक रैन बसेरा योजना 2014' मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 15 अगस्त 2014 में प्रकाशित अधिसूचना क्रं 2725, दिनांक 11 अगस्त 2014 द्वारा 'निर्माण श्रमिक रैन बसेरा योजना

2014' अधिसूचित की गई थी एवं मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 12 नवम्बर 2021 में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक 4728, दिनांक 10 नवम्बर 2021 द्वारा संशोधित की गई थी। उक्त सभी अधिसूचनाओं को अधिक्रमित करते हुए म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल राज्य शासन के पूर्व अनुमोदन से **"निर्माण श्रमिक रैन बसेरा योजना 2026"** अधिसूचित करता है:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार, परिधि और लागू होना

a. यह योजना **"निर्माण श्रमिक रैन बसेरा योजना 2026"** कहलाएगी।

b. यह योजना सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में लागू होगी।

c. यह योजना मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से लागू होगी।

d. यह योजना भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकारों, जो अधिनियम की धारा 12 सहपठित नियम 272 के अंतर्गत परिचय पत्र धारी निर्माण श्रमिक हैं, पर लागू होगी।

2. परिभाषाएं-इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-

a. **'अधिनियम'**- का आशय 'भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम 1996 से है।

b. **'नियम'**- का आशय म.प्र.भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवाशर्तो का विनियमन) नियम 2002 से है।

c. **'बोर्ड या मण्डल'**- से आशय अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन गठित 'मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल' से है।

d. **'सचिव'** से आशय अधिनियम की धारा 19 के अधीन नियुक्त 'मण्डल के सचिव' से है।

e. **'निर्माण श्रमिक/कर्मकार'** से आशय 'ऐसे श्रमिक जो अधिनियम की धारा 12 सहपठित नियम 272 के अंतर्गत परिचय पत्रधारी निर्माण श्रमिक हों' से अभिप्रेत है।

f. **'आश्रित'** से आशय 'पंजीकृत निर्माण श्रमिक के परिचय पत्र में सम्मिलित आश्रित परिवार के सदस्य' से है।

g. **'जिला स्तरीय समिति'** से आशय निर्माण, प्रबंधन एवं संचालन हेतु जिला कलेक्टर (अध्यक्ष), जिला श्रम अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, संबंधित जनपद पंचायत अथवा मुख्य नगर पालिका अधिकारी, संबंधित नगरीय निकाय (सदस्य सचिव), स्थानीय श्रमिक संघों के प्रतिनिधि, स्थानीय उद्योग जगत के प्रतिनिधि की संयुक्त समिति से हैं।

h. इस योजना में परिभाषित नहीं किए गए शब्दों का निर्वचन उन शब्दों या पदों के संबंध में जिन्हें अधिनियम या नियम में परिभाषित किया गया है वही अर्थ होगा, जो अधिनियम या नियम में परिभाषित हैं।

3. **योजना का उद्देश्य** - इस योजना का उद्देश्य कार्य की खोज में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से पलायन कर अन्य क्षेत्रों में आने वाले मंडल में पंजीकृत भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिकों को रात्रि विश्राम हेतु प्रदेश के ग्राम पंचायत/नगर पंचायत/नगर परिषद/नगर पालिका पर स्वच्छ एवं सुरक्षित आवास तथा भोजन की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाना हैं।

4. **योजना का विवरण** -

a. यह योजना सम्पूर्ण मध्यप्रदेश हेतु लागू होगी।

b. रैन बसेरों हेतु ग्राम पंचायत/नगर पंचायत/नगर परिषद/नगर पालिका मुख्यालय क्षेत्र में क्षमता अनुसार भूमि की आवश्यकता होगी, जोकि निकाय के मुख्य क्षेत्र केंद्र बिन्दु के आस-पास हो तथा शासन के स्वामित्व एवं आधिपत्य में हो।

c. रैन बसेरों के लिए चयनित भूमि के श्रम विभाग के नाम आवंटन हेतु आवेदन आदि प्रक्रिया संबंधित सहायक श्रमायुक्त/जिला श्रम अधिकारी द्वारा की जावेगी।

d. रैन बसेरा की क्षमता का निर्धारण स्थान विशेष की आवश्यकता के दृष्टिगत किया जाएगा। रैन बसेरा की आवश्यकता व क्षमता के निर्धारण के पूर्व जिला स्तरीय समिति द्वारा यह देखा जाएगा कि प्रश्नाधीन ग्राम पंचायत/नगर पंचायत/नगर परिषद/नगर पालिका में पूर्व से कोई रैन बसेरा संचालित है या नहीं और यदि पूर्व से संचालित है तो उसकी occupancy का प्रतिशत कितना है? और क्या उसका संचालन सुचारू रूप से हो रहा है?

e. रैन बसेरों में महिला एवं पुरुषों के उपयोग हेतु पृथक-पृथक 02 डोरमेट्री, भोजन करने तथा बनाने हेतु स्थान एवं पृथक-पृथक स्नानागार व शौचालय की व्यवस्था होगी। महिला श्रमिकों की सुरक्षा हेतु आवश्यक प्रावधान किए जावेंगे। इसके अतिरिक्त रैन बसेरा के स्टाफ हेतु एक कमरा होगा। अनावर्ती व्यय की राशि मण्डल द्वारा निम्न सीमा (अधिकतम) में देय होगी:-

i.	नगरपालिकाओं हेतु	50 लाख
ii.	नगर परिषद/पंचायतों हेतु	30 लाख
iii.	ग्राम पंचायतों हेतु	15 लाख

नोट:- अनावर्ती व्यय की राशि निर्धारित सीमा से अधिक होने की स्थिति में शेष राशि संबंधित पंचायत/निकाय द्वारा वहन की जाएगी।

f. उपरोक्त राशि का व्यय भवन निर्माण, भवन सुसज्जा, CCTV, फर्नीचर, अलमारी, पलंग, बिस्तर (रजाई गद्दे, चादर, ताकि आदि) व लॉकर आदि हेतु किया जा सकेगा।

g. पानी (पीने तथा अन्य उपयोग हेतु) का प्रबंध स्थानीय निकाय द्वारा PHE अथवा अन्य शासकीय एजेंसी के माध्यम से किया जावेगा।

h. रैन बसेरा का निर्माण जिला स्तरीय समिति द्वारा निर्धारित निर्माण ऐजेंसी द्वारा किया जावेगा।

i. रैन बसेरा की स्वीकृति हेतु जिला स्तरीय समिति से हस्ताक्षरित प्रस्ताव, निर्धारित निर्माण एजेंसी का आदेश, चयनित भूमि का खसरा, भूमि की फोटो, निर्माण हेतु एस्टीमेट, नक्शा, तकनीकी स्वीकृति की प्रति मंडल को जिला कलेक्टर के माध्यम से प्रेषित किया जायेगा। मंडल द्वारा उक्त प्रस्ताव अनुमोदित कर स्वीकृति/राशि जारी की जायेगी।

j. रैन बसेरा के निर्माण की गुणवत्ता का पर्यवेक्षण जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जावेगा।

k. रैन बसेरा अंतर्गत श्रमिक द्वारा रात्रि विश्राम के लिए जिला स्तरीय समिति द्वारा प्रति रात्रि हेतु उपयोग शुल्क का निर्धारण किया जावेगा। शुल्क इस प्रकार निर्धारित किया जावे कि वे श्रमिकों के लिए सुलभ और न्यायसंगत हों, और रखरखाव व संचालन में सहायता करें।

l. रैन बसेरा में वाणिज्यिक दुकानों के लिए स्थान आरक्षित किया जा सकता हैं। इन दुकानों को किराए पर देकर या लीज़ पर चलाकर राजस्व उत्पन्न किया जाएगा। वाणिज्यिक दुकानों की आवश्यकता होने अथवा ना होने का निर्धारण जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जाएगा।

m. उक्त प्राप्त राशि से श्रमिक विश्राम गृह के आवर्ती व्यय यथा बिजली, पानी, साफ-सफाई आदि व्यवस्थाएं करवाई जावेगी। इस हेतु मण्डल द्वारा पृथक से राशि उपलब्ध नहीं कराई जाएगी।

n. रैन बसेरों का रखरखाव व संचालन (बिजली, भोजन, पानी, साफ-सफाई आदि व्यवस्थाएं) जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जावेगा। रखरखाव, संचालन, भोजन एवं साफ-सफ़ाई हेतु बजट का निर्माण और अनुमोदन, निधि का गठन, सार्वजनिक बैंक मे निधि हेतु खाता खुलवाना तथा उसका संचालन समिति द्वारा किया जावेगा।

o. रखरखाव व संचालन (बिजली, भोजन, पानी, साफ-सफाई आदि व्यवस्थाएं) कार्य के लिए संबंधित ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय अथवा सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) करार किया जा सकता है। रखरखाव व संचालन की निगरानी जिला स्तरीय समिति द्वारा की जाएगी ताकि सार्वजनिक हित और सेवा की गुणवत्ता बनी रहे।

p. संचालन खर्चों के बाद शेष राशि का संधारण जिला स्तरीय समिति द्वारा निधि के खाते में किया जावेगा, जिससे लघु निर्माण तथा भवन का वार्षिक रखरखाव किया जावेगा।

q. प्रति नगर पंचायत/नगर परिषद/नगर पालिका हेतु अधिकतम 01 रैन बसेरा स्वीकृत किया जावेगा। एक जनपद पंचायत अंतर्गत अधिकतम 10 ग्राम पंचायतों में ही रैन बसेरा स्वीकृत किया जावेगा।

r. मण्डल द्वारा प्रथम किश्त जारी करने के दिनांक से अधिकतम 01 वर्ष में रैन बसेरा का निर्माण निर्धारित एजेंसी द्वारा पूर्ण किया जावेगा अन्यथा की स्थिति में निर्माण लागत में वृद्धि का वहन संबंधित पंचायत/निकाय द्वारा किया जावेगा।

5. **योजनांतर्गत सहायता राशि भुगतान की प्रक्रिया-** रैन बसेरा के निर्माण हेतु मंडल द्वारा दी गई स्वीकृति अनुसार लागत की 100 प्रतिशत राशि 03 किश्तों में निम्नानुसार प्रदाय की जाएगी:-
   a. **प्रथम किश्त :- 30 प्रतिशत** (मण्डल द्वारा स्वीकृति उपरांत अग्रिम के रूप में)
   b. **द्वितीय किश्त :- 30 प्रतिशत** (निर्माणाधीन रैन बसेरा के 50 प्रतिशत निर्माण उपरांत देय)
   c. **तृतीय किश्त :- 40 प्रतिशत** (रैन बसेरा भवन हेतु कार्यपूर्णता प्रमाणपत्र जारी होने के उपरांत)

   मण्डल द्वारा राशि संबंधित जिले के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी को आवंटित की जावेगी।

6. **रैन बसेरा का उपयोग निम्न शर्तों के अध्यधीन किया जा सकेगा :-**
   a. रैन बसेरा भवन का नाम "निर्माण श्रमिक रात्रि विश्राम गृह" स्पष्टतः अंकित किया जावेगा।
   b. रैन बसेरा में रात्रि विश्राम हेतु निर्माण श्रमिकों को प्राथमिकता दी जाएगी।
   c. ग्राम पंचायत/नगर पंचायत/नगर परिषद/नगर पालिका द्वारा रैन बसेरा के उपयोग के संबंध में संधारित रिकार्ड में निर्माण श्रमिक का नाम, पता एवं पंजीयन क्रमांक अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

7. **विसंगति का निवारण-** योजना में उल्लेखित शर्तों/ नियमों के अतिरिक्त यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है, उस स्थिति मे मण्डल के सचिव का निर्णय अंतिम होगा।

संजय कुमार, सचिव.

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 फरवरी 2026

सूचना

क्रमांक-यूडीएच/3/0299/2025/18-5 मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम नियम 2012 में संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप जिसे राज्य सरकार, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्रांम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23, सन 1973) की धारा 24 की उप-धारा (3) के साथ पठित धारा 85 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये उक्त अधिनियम की धारा- 85 की उप-धारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित उन समस्त व्यक्तियों की, जिनके कि इससे प्रभावित होने की संभावना है, जानकारी के लिये एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है और एतदद्वारा यह सूचना दी जाती है कि, इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 15 दिन का अवसान होने पर संशोधन के उक्त प्रारूप पर विचार जाएगा।

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर जो की संशोधन के उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से, ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि का अवसान होने के पूर्व प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

संशोधन का प्रारूप

उक्त नियमों में,

1. नियम 15 के पश्चात, निम्न लिखित नियम अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात :-

15-क उपर्युक्त नियम 15 में निहित किसी बात के होते हुए भी, मध्य प्रदेश एकीकृत टाउनशिप नियम, 2026 के प्रावधान प्रभावशील होंगे

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रमोद कुमार शुक्ला, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 26 फरवरी 2026

क्रमांकः-यूडीएच-03-0299/2025/18-5 :- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण मे नगरीय विकास एवं आवास की सूचना क्रमांक-यूडीएच-03-0299/2025/18-5 दिनांक-26/02/2026 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुप्रिया पेंड़के, अवर सचिव.

Bhopal, the 26th February 2026

NOTICE

No- UDH/3/0299/2025/18-5 - The following draft of amendment in the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Niyam, 2012, which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by Section 85 read with sub-section (3) of Section 24 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No.23 of 1973), is hereby published, as required by sub-section (1) of section 85 of the said Adhiniyam for the information of all persons, likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft of amendment shall be taken into consideration on the expiry of 15 days from the date of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette.

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft of amendment on or before the expiry of the period specified above shall be considered by the State Government.

DRAFT OF AMENDMENT

In the said Rules-

1 After Rule 15, following rule shall be inserted namely :-

15–A Notwithstanding anything contained in the rule 15 above, the provisions of Madhya Pradesh Integrated Township Rules, 2026 shall take precedence.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
PRAMOD KUMAR SHUKLA, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित–2026.